

Date: 26.08.2026

To, Manager (CRD) BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001	To, The Manager National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051
Scrip Code: 507528	SYMBOL: KUNDANMM

Dear Sir/Madam,

Sub: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 of Listing Regulations, please find enclosed copies of the Notice published in Financial Express in English and Jansatta in Hindi for attention of Shareholders regarding information about 59th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Tuesday, 22nd September 2026 through Video Conferencing/Other Audio Visual Means.

This is for your information and records, please.
Kindly take the above on record.

For Kundan Minerals and Metals Limited

Sonica Verma

Company Secretary & Compliance Officer

KUNDAN MINERALS AND METALS LIMITED
(Formerly Known as Eastern Sugar & Industries Limited)

CIN: L24205DL1964PLC462874

PH: 011-69955555

Email : info@kundanmineralsandmetals.com **Website :** www.kundanmineralsandmetals.com

Regd. Off : Flat No 4, 2nd Floor 3, Scindia House Connaught Place, New Delhi-110001

FINANCIAL EXPRESS

41

KUNDAN MINERALS AND METALS LIMITED

(Formerly Known as Eastern Sugar & Industries Limited)

CIN L24205DL1964PLC462874

Registered Office: Flat No 4 2nd Floor 3, Seindha House Connaught Place, New Delhi-110001

Contact No. +91-9711880981; E-mail Id: info@kundanmineralsandmetals.com

Website: www.kundanmineralsandmetals.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR 59TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Fifty Ninth (59th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of KUNDAN MINERALS AND METALS LIMITED ("the Company") will be held on Tuesday, September 22, 2026 at 12:30 PM (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") facility, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, read with applicable circulars on the matters issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. The electronic means / VC facility is provided by the National Securities Depository Limited ("NSDL"). Members attending the meeting through electronic means/ VC facility shall be counted for the purpose of quorum in terms of Section 103 of the Companies Act, 2013.

Annual Report for the financial year 2025-26 and Notice convening the AGM will be sent via Email to those Shareholders whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participants (DP). Aforesaid documents will also be available on the Company's website www.kundanmineralsandmetals.com and on the website of the Stock Exchange, i.e. BSE limited ("BSE") and NSE Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com on the website of the National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com.

Manner for registering/updating e-mail address:-

Shares in physical form: Shareholders holding shares in physical form can register / update email address with the Company by sending a request at info@kundanmineralsandmetals.com or to Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") Maheshwari Dalmatics Pvt. Ltd on mdpd@yaho.com duly mentioning Folio No., Full Name and Contact details.

Shares held in demat / electronic form: In case of shares held in demat / electronic form, we request you to kindly register, if not registered so far, your email address with your Depository Participant (DP). In case of change of your email, kindly register/update new email with your DP on or before August 27, 2026

Manner of casting Vote(s) through e-voting :-

Members can cast their vote(s) electronically for all the resolutions as set out in the AGM Notice through electronic voting system (e-voting). Detailed instructions for e-voting are given in the AGM Notice, which is being sent through prescribed mode. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to cast vote (e-voting) during the AGM.

For detailed instructions pertaining to e-voting and technical assistance for attending AGM, members may please refer the notes given in the AGM Notice. For any guidance or grievances about e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQ) and e-voting manual for members at the Downloads Section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 022-4886-7000 or contact Mrs. Sonica Verma, Company Secretary on info@kundanmineralsandmetals.com

For KUNDAN MINERALS AND METALS LIMITED

Sd/-

Sonica Verma

Company Secretary

Place: Delhi

Date: 25th August, 2026



SITAARA HOUSING FINANCE LTD

(Formerly known as Sewa Grih Rin Ltd)

Registered office: 1st Floor, 216/C-12, Old No. C-12, Plot No. 18-B, Guru Nanak Pura, Laxmi Nagar, Delhi-110092-Delhi - India

DEMAND NOTICE

UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH RULE 3 (1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002. The undersigned is the Authorised Officer of Sitaara Housing Finance Ltd under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorised Officer has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s) (the said Borrower(s)), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s) to pay to Sitaara Housing Finance Ltd, within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further interest as detailed in the said Demand Notice(s), from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/ writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to Sitaara Housing Finance Ltd by the said Borrower(s) respectively.

S. No.	Name of the Borrower / Co-Borrower & Guarantor	Demand Notice Date & Amount
1.	Loan No. L1CP000005004128, 1. Smt. Guddi Devi W/o Shri Vinesh Rabi (Borrower), 2. Shri Vinesh Kumar S/o Shri Ramesh Kumar, Smt. Kalavati W/o Shri Ramesh & Shri Kunal Rabi S/o Shri Vinesh Rabi (Co-Borrowers), 3. Shri Jaspal Singh S/o Shri Shivpal Singh (Guarantor)	20.08.2026 ₹ 12,40,716.59/- as on 12.08.2026

Description of secured assets (Movable/Immovable Property) Khasra No. 328, Mauza Dhakka, Tehsil & District Moradabad, Uttar Pradesh - 244001. Boundaries: East: Plot of Harcharan, West: House of Mohan Singh, North: 10 Feet Road, South: Other Arazi (Other Land). The area of the mortgaged property is 80.80 Sq. Mtr.

Loan No. L1GP000005017116, 1. Smt. Sanjeeta W/o Shri Moti (Borrower), 2. Shri Rohit Kumar S/o Shri Moti, Shri Moti S/o Shri Ataru (Co-Borrowers)	19.08.2026 ₹ 8,24,917.85/- as on 12.08.2026
--	---

Description of secured assets (Movable/Immovable Property) Khasra No. 152, Village Salempur, Pargana Nagla, Tehsil Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh - 247551. Boundaries: East: Field of Dharmal and Jaybhagwan, West: Field of Deegar Shakas and Temple, North: Private passage 8 feet 6 inches wide, thereafter Government road 15 feet wide, House of Nathi, South: Field of Roshan. The area of the mortgaged property is 316.32 Sq. Mtrs.

Loan No. LAP100001836	19.08.2026
-----------------------	------------

Hinduja Housing Finance Ltd.

Corporate Office: No. 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet,

Chennai - 600015, Tamil Nadu, India,

Branch office: Office No. 311 & 312, 1st Floor, North Tower, A-9 building, NSP, Pitampura-110034

FINANCE

Raman Kumar Pandey - 8010562716/ RLM: Mr. Parmod Chand - 9990338759

N. Mishra - 9718025302 / Email: Auction@hindujahousingfinance.com

NOTICE OF SALE THROUGH PRIVATE TREATY

E ASSETS MORTGAGED TO HHFL UNDER THE SARFAESI ACT, 2002 READ WITH RULE 3(1) AND 9(1).

Authorized Officer of HHFL, has taken possession of the schedule property under RFAESI Act. Public at large is hereby informed that the secured property described above for sale through Private Treaty/Public E-Auction, on terms agreeable to HHFL, on an "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" basis. Conditions: 1. Sale will be conducted strictly on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" basis. 2. Purchaser must deposit 10% of the offered amount along with the documents. This will be adjusted against the 25% deposit required upon sale shall be payable on the EMD. 3. On acceptance of the offer by HHFL, purchaser the sale consideration (inclusive of the initial 10%) by the next working day. 4. Failure to deposit consideration must be paid within 15 days of confirmation of sale. 5. Failure to deposit consideration will result in automatic forfeiture of all deposits made, including property may be resold without further notice. 6. If HHFL does not accept the offer, it will be refunded without interest. 7. For bids exceeding Rs. 50,00,000/- the must remit 1% TDS under Section 194-I of the Income Tax Act. 8. The property is not free from encumbrances, whether known or unknown to HHFL. HHFL shall not be responsible for any claims, rights, or statutory dues. 9. Purchaser must conduct independent verification of the property. No claims will be entertained later. 10. HHFL reserves the right to cancel the auction without assigning reasons. 11. Auction/bidding shall only be on a "one mode" through the website www.bankauctions.com or Auction provided by M/s C1 India Pvt. Ltd. 12. The bidders may participate from their place of choice. Secured Creditor/service provider shall not be held responsible for the any internet. For any details on e-auction prospective bidders may contact the Service Provider having its corporate office at Plot No. 68, 3rd Floor, Sector - 44, Gurgaon, Haryana - Mr. Mihalesh, Mobile No. 7080804466, Email: Mihalesh.kumar@c1india.com, Mr. Prabhakaran, Malachalamy@c1india.com & Support (Helpline) Mobile No. +91-9900000000. Support Email - Support@bankauction.com. 14. For participating in the e-auction bidders should register their name at https://www.bankauctions.com well in advance and ID and password. Intending bidders are advised to change only the password coming it from the service provider. 15. For participating in e-auction, intending bidder must deposit Earnest Money Deposit (EMD) i.e. 10% OF RESERVE PRICE (as all payable by interested bidders through Demand Draft/NEFT/RTGS in favour of "Hinduja Housing Finance Limited". 16. Interested parties may contact the Authorized Officer for details. Along with KYC documents on or before 09-09-2026 at 5:00 p.m. 17. Successful bidder shall bear stamp duty, registration fees, taxes and other statutory expenses related to the sale. The Borrowers/Mortgagors right of redemption under Section 13(8) of the Act is extinguished upon the date of publication of this notice as per the latest judicial ruling as conducted in accordance with the provisions of the SARFAESI Act and Rules.

SECURE

Property (Secured Asset): Property Bearing No. C-107-B, First Floor in the back side, area measuring 40 Sq. Yds. i.e. 33.45 Sq. Mtrs. out of khasra no. 110059 in the area of village Palam, colony known as Vishwas Park, Block-C, Delhi 110059

Int. Rs. 14,18,356/- (Rupees Fourteen Lakhs Eighteen Thousand Three Hundred Fifty Six Only) as on 12/06/2025

Int. Rs. 8,50,000/- (Rupees Eight Lakh Fifty Thousand Only) as on 12/06/2025

(Rupees Eighty-Five Thousand Only)

No. HRNCH/GURH/A000001435

1. Mr. Amandeep, 2. Mr. Rajesh

Last Date: 09-09-2026 till 17:00 hrs.

Auction: 10-09-2026, 11:00hrs-13:00 hrs.

Int. Rs. 10,000/-

Place: Delhi Authorised Officer, For Hinduja Housing Finance Limited

HOME FINANCE LIMITED

(Formerly Known As Shriram Housing Finance Limited)

Reg. Off.: Srinivasa Tower, 1st Floor, Door No. 5, Old No. 11,

2nd Lane, Cenatopha Road, Alwarpet, Teynampet, Chennai-600018

Head Office: Level 3, Woodcraft Towers, East Wing C-2, G Block,

Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051

Website: http://www.truhomefinance.in

POSSESSION NOTICE

The undersigned being the authorised officer of Truhome Finance Limited (Formerly Known As Shriram Housing Finance Limited) under the Securitisation and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 1999) in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with (Rule 3) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice to the Borrowers details mentioned in the table below to repay the amount mentioned in the notice within the date of receipt of the said notice.

Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the public in general that the undersigned has taken POSSESSION of the property herein below in exercise of powers conferred on him under Sub Section 13(8) of Act read with rule 8 of the security Interest enforcement) rules, 2002 on

power in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with and any dealings with the property will be subject to the charge of Truhome Finance Limited.

KUNDAN MINERALS AND METALS LIMITED

(Formerly Known as Eastern Sugar & Industries Limited)

CIN L24205DL1964PLC462874

Registered Office: Flat No 4 2nd Floor 3, Scindia House Connaught Place, New Delhi-110001
Contact No. +91-9711880981; E-mail id:- info@kundanmineralsandmetals.com
Website: www.kundanmineralsandmetals.com**NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR 59TH ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the Fifty Ninth (59th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of KUNDAN MINERALS AND METALS LIMITED ("the Company") will be held on Tuesday, September 22, 2026 at 12:30 PM (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") facility, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, read with applicable circulars on the matters issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. The electronic means / VC facility is provided by the National Securities Depository Limited ("NSDL"). Members attending the meeting through electronic means / VC facility shall be counted for the purpose of quorum in terms of Section 103 of the Companies Act, 2013.

Annual Report for the financial year 2025-26 and Notice convening the AGM will be sent via Email to those Shareholders whose email ids are registered with the Company's Depository Participants (DP). Aforesaid documents will also be available on the Company's website www.kundanmineralsandmetals.com and on the website of the Stock Exchange, i.e. BSE limited ("BSE") and NSE Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com on the website of the National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com.

Manner for registering/updating e-mail address:-

Shares in physical form: Shareholders holding shares in physical form can register / update email address with the Company by sending a request at info@kundanmineralsandmetals.com or to Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd on mdpldc@yahoo.com duly mentioning Folio No., Full Name and Contact details.

Shares held in demat / electronic form: In case of shares held in demat / electronic form, we request you to kindly register, if not registered so far, your email address with your Depository Participant (DP). In case of change of your email, kindly register/update new email with your DP on or before August 27, 2026

Manner of casting Vote(s) through e-voting :-

Members can cast their vote(s) electronically for all the resolutions as set out in the AGM Notice through electronic voting system (e-voting). Detailed instructions for e-voting are given in the AGM Notice, which is being sent through prescribed mode. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to cast vote (e-voting) during the AGM.

For detailed instructions pertaining to e-voting and technical assistance for attending AGM, members may please refer the notes given in the AGM Notice. For any guidance or grievances about e-voting, members may refer the Frequently Ask Questions (FAQ) and e-voting manual for members at the Downloads Section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 022-4886-7000 or contact Mrs. Sonica Verma, Company Secretary on info@kundanmineralsandmetals.com

For KUNDAN MINERALS AND METALS LIMITED

Sd/-

Sonica Verma

Company Secretary

Place: Delhi

Date: 25th August, 2026

की धारा 14(1) के तहत अनुसूची के अनुसार वित्तित्त अर्थात् संपत्ति की पर, 'जैसा है वहाँ है', 'जैसा है वहाँ है' और 'जो है वहाँ है' के साथ प्रस्तावित राशि का 10% प्रतिशत कर दिया जाएगा। ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

ईएमडी पर, कैंडा को अप्लाई कर दिया गया है कि 75% विक्री की पुष्टि के बाद भुगतान न करने पर, आरंभिक रूप से सूचना के पुनः वैया जा सकता है कि बिना ब्याज के वापस कर दी जा सकती है। यदि ब्याज की धारा के तहत सही राशि जाती है, तो ब्याज का वैधानिक देय राशियों के तहत वापस जा सकती होगी। बाद में किसी भी प्रस्ताव को अंजीवार नहीं कर सकता है।

**कोटक महिंद्र बैंक लि.**

पंजीकृत कार्यालय: 27वीं फ्लोर, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.) - 400051
शाखा कार्यालय: एपीआईएच मॉल, 2री मंजिल, 68, 68-1, नजफगढ़ रोड इंडस्ट्रियल एरिया, मोदी नगर, नई दिल्ली-110015

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1) देखें] कच्चा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जैसाकि, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सर्पेसी अधिनियम") के अंतर्गत कोटक महिंद्र बैंक लि., बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के भीतर एक बैंकिंग कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 27वीं फ्लोर, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई.), मुंबई-400 051 और शाखा कार्यालय एपीआईएच मॉल, 2री मंजिल 68, 68/1, नजफगढ़ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, मोदी नगर, नई दिल्ली-110015 में स्थित है, के अधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने दृष्टिगत खाता सं. LAP17740346 के लिए दिनांक 22.05.2026 को एक मांग सूचना जारी कर उधारकर्ताओं/बंधककर्तों: 1. इंडियन ट्रेल सोर्सिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता और बंधककर्ता), 2. दानिश जमील (गारंटीदाता), 3. शारिक जमील (गारंटीदाता) तथा 4. सईद जमील (गारंटीदाता) (गारंटीदाता/बंधककर्ता) को सूचना की प्रति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित रु. 27,21,002.63/- (रुपये सत्ताइस लाख इक्कीस हजार दो और पैसे तिरसठ मात्र) की संपूर्ण वकामा राशि के भुगतान का निर्देश दिया था।

उक्त उधारकर्ता/ बंधककर्ता/गारंटी इस राशि का भुगतान करने में विफल रहे अतः एतद्वारा सार्वजनिक रूप से उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटी और जनता को यह सूचना दी जाती है कि आज दिनांक 20.08.2026 को उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित संपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है।

उधारकर्ताओं, का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संसन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13की उप धारा (8) के प्रावधानों की और आकृष्ट किया जाता है। एतद्वारा विशेषकर उक्त उधारकर्ता/ बंधककर्ता/गारंटी और आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे इन संपत्तियों से संबंधित कोई भी व्यापार न करें तथा इन संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेनदेन दिनांक 07.05.2026 तक रु. 27,21,002.63/- (रुपये सत्ताइस लाख इक्कीस हजार दो और पैसे तिरसठ मात्र) की राशि तथा दिनांक 08.05.2026 से 9.25% की अनुबंधित दर पर बांध्य के ब्याज, आकस्मिक खर्चों, लागत और शुल्कों आदि के लिए कोटक महिंद्र बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण:

संपत्ति का यह संपूर्ण टुकड़ा और भूखंड: प्लेट पर सी 57 भूमि सं. 057 पर निर्मित औद्योगिक इकाई, जो कि नोएडा ग्रामिकाण द्वारा विविधकृत आर्वाइल सेक्टर-06, ब्लॉक-जी, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 372.1 वर्ग मी. है, संपत्ति मॉडल पर इसका कुल कवर किया गया क्षेत्रफल 229.82 वर्ग मी. (जिसमें भूतल, जिसका कवर्ड एरिया 184.1 वर्ग मीटर और मेजेनाइन मॉडल, जिसका कवर्ड एरिया 45.72 वर्ग मी. है), जिसे इसके बाद संपत्ति और चिंवाग्रधीन प्लॉट कब्जा गया है। सीमाएं: उत्तर: प्लॉट नं.जी-37 और जी-38, सेक्टर-06, दक्षिण: 12 मी. चौड़ी सड़क, पश्चिम: प्लॉट नं. जी-58, सेक्टर-06, पूर्व: प्लॉट नं. जी-56, सेक्टर-06

दिनांक: 20.08.2026

स्थान: गौतम बुद्ध नगर

(अधिकृत अधिकारी),
कोटक महिंद्र बैंक लि.

अधिकृत अधिकारी लिमिटेड के लिए